५

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75 – 4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, सुजानपुरा, ओमनगर, आलमबाग, लखनऊ

Web: www.lekhpal.wordpress.com E-mail: lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
: +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

● उपाध्यक्ष गण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
-9536500281

राजेन्द्र सिंह कछ्वाह
(मध्य जोन)
-9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
-9451510484

● कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
-8923920103

● संगठन मंत्री गण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
-9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
-9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
-9415678593

● लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह
-9198895639

पत्रांकः 05/महामंत्री/2016 दिनांकः 14/03/2016

सेवा में,

समस्त जिलाध्यक्ष/जिला सचिव/ संयोजक साहबान
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

विषयः– राजस्व संहिता के अध्ययन व व्यापक प्रचार प्रसार एवं उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रिय बन्धुवर,

आपको विदित ही है कि 11 फरवरी 2016 से उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0 प्र0 अधिनियम स0 8 सन 2012) व उ0 प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ हो गया है। उक्त राजस्व संहिता व नियमावली में किये गये नवीनतम प्रावधानों/ संशोधनों के अनुरूप प्रभावी ढंग से समाजोपयोगी कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु इसमें वर्णित प्रावधानों का भली भॉति ज्ञान होना आवश्यक है। इतना ही नहीं उपरोक्त राजस्व संहिता/नियमावली के सम्बन्ध में आमजन गानरा को भी पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है । जिससे नई राजस्व संहिता/नियमावली के निर्माण का उददेश्य पूर्णतया फलीभूत हो सके।

दिनॉक 13.03.2016 को श्री राजबहादुर सिंह यादव चैयरमैन राजस्व संहिता प्रारूप समिति की अध्यक्षता में लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मंडल व राजस्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त राजस्व कर्मियों एवं अधिकारियो से राजस्व संहिता/नियमावली के व्यापक प्रचार प्रसार करने व इसके प्रावधानों को भली भॉति लागू करने की आशा की गयी है।

अतः आपसे यह आशा की जाती है कि जनपद एवं तहसील स्तर पर लेखपाल संवर्ग की बैठकें आहुत कर राजस्व संहिता/नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन कर लिया जाये। आपसे यह भी आशा है कि यदि राजस्व संहिता 2006 व राजस्व संहिता नियमावली 2016 के प्रावधानों में अथवा उनके व्यवहारिक रूप से कियान्वयन में किसी संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही हो तो उसके राम्बन्ध में अपने सुझावों से लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

शुभ आशाओं सहित।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. श्री राजबहादुर यादव, अपर महाधिवक्ता/अध्यक्ष महोदय, राजस्व संहिता प्रारूप समिति।
3. मा0 प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 लेखपाल संघ।
4. समस्त मण्डलीय सचिव को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री